रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2006/भाद्र 10, 1928
No. 128] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2006/BHADRA 10, 1928

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2006

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम, 2006

एनएचएआर-12011/11/95-प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) विनियम, 1997 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) यह विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम, 2006 कहलाएगा ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) विनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(घ) "अधिकारी अथवा कर्मचारी" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो प्राधिकरण में पूर्णकालिक रोजगार में है अथवा ऐसे कर्मचारी जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से नियमित अधिकारी अथवा कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने प्राधिकरण के पूर्णकालिक रोजगार में तीन वर्ष और प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/स्वायत्त निकायों में कुल मिलाकर बीस वर्ष से कम सेवा नहीं की है।'

3. उक्त विनियम के विद्यमान विनियम 10 को विनियम 11 के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:क्रमांकित किए गए विनियम 11 से पहले निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"10 सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों से एकमुश्त अंशदान

सेवानिवृत्ति के पश्चात् अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा यह लाभ उठाने के लिए उसे केन्द्रीय सरकार में सीजीएचएस का लाभ उठाने हेतु समान वेतनमान वाले कर्मचारी द्वारा अदा किए जाने वाले 10 वर्ष के अंशदान के बराबर एकमुश्त अंशदान का भुगतान करना होगा : बशर्ते कि दिवंगत अधिकारी अथवा कर्मचारी की पत्नी/पति द्वारा कोई अंशदान देय नहीं होगा।"

पी. सी. चतुर्वेदी, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/IV/127/2006-असा.]

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 सितम्बर, 1997 में एनएचएआर-12011/11/95-प्रशासन द्वारा प्रकाशित की गयी थी और उसके बाद इसमें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 19 मार्च, 2004 में एनएचएआर-12011/11/95-प्रशासन द्वारा संशोधन किया गया ।

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2006

The National Highways Authority of India (Medical Attendance and Treatment) Amendment Regulation, 2006

NHAR-12011/11/95-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35, read with sub-section (l) of Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1997, namely :—

1. This Regulation may be called the National Highways Authority of India (Medical Attendance and Treatment) Amendment Regulation, 2006.

2. In regulation 2 of the National Highways Authority of India (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1997 (hereinafter referred to as the said regulations), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

'(d) "Officer or employee" means any person who is in whole time employment of the Authority or employees who have retired from NHAI as regular officer or employee and have rendered not less than three years whole time employment in the Authority and a total, of twenty years of service in the Authority and other Government Department/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies.'

3. The existing regulations 10 of the said regulations shall be renumbered as regulation II, and before regulation 11 as so renumbered, the following regulation shall be inserted, namely :

"10 Lump-sum contribution from retiring employees :—

The lump sum contribution equivalent to 10 years contributions as payable by an employee of same pay scale for availing CGHS benefits in Central Government shall be paid by an officer or employee for availing the benefits after retirement :

Provided that no contribution shall be payable by the spouse of a deceased officer or employee".

P. C. CHATURVEDI, Member (Admn.)

[ADVT III/IV/127/2006-Exty.]

Foot note : The Principal Notification was published *vide* NHAR-12011/11/95-ADMN in the Gazette of India, Extraordinary Part III-Section 4, dated 11th September, 1997 and subsequently amended *vide* NHAR-12011/11/95-Admn. in the Gazette of India, Extraordinary, Part III-Section 4 dated 19th March, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.